न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (रा0)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 98 / 2021

उनवान

गोविन्द कंवर पत्नी भेरू सिंह राजपूत निवासी नाहरगढ तहसील शाहपुरा

– प्रार्थिया

बनाम

1– महावीर पिता रामपाल सेन निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
2– मुकेश पिता रामपाल सेन निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा
3– श्यामलाल पिता उदा खटीक निवासी नाहरगढ तहसील शाहपुरा
4– सत्यनारायण पिता उदा खटीक निवासी नाहरगढ तहसील शाहपुरा
5– पूरण कंवर पत्नी दिलीपसिंह राजपूत निवासी नाहरगढ तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति – श्री अक्षयराज रेबारी
अधिवक्ता प्रार्थिया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 07 / 07 / 2021

प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थिया के ग्राम **नाहरगढ** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा में स्थित **आराजी नम्बर 133 रकबा 1.22 है0** कुल किता 1 रकबा 1.22 हैक्टेयर की प्रार्थिया खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थिया एव विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अत पत्थरगढी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण सख्या बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण स0 के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थिया के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थिया सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम नाहरगढ संवत 2074 से 2077** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् की **प्रार्थिया खातेदार** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। अतः **प्रार्थिया** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **नाहरगढ़** में स्थित प्रार्थिया की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात किता 1 **रकबा 1.22** की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थिया से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **07 / 07 / 2021** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि – तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी
एव सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाडा